FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

गोविन्द सिंह बनाम विरेन्द्र सिंह वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 623 सन् 2023 जीसीएमएस नं. 2023/784

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05-07-2023	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री शम्भुदयाल अग्रवाल** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभय **पक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 90, 91 किता 2 रकबा 1.29 हैक्ट. अवस्थित ग्राम बणियाला पटवार हल्का मांकड़ी तहसील नीमकाथाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा <u>प्रार्थी /प्रार्थीगण</u> से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, उसमें परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.07.2023 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2025.10.06 15:52:04 IST

Reason: SelfAttested

31/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 19/9/23
को पेश हों।

19/9/23 वकील प्रार्थी उप०। अग्रावलिका की तलबी हेतु
पत्रावली दिनांक 23/11/23 को पेश हो।

23/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०।
P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त
होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार
दिनांक 02/02/24 को पेश हो।

2424 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 4/6/24 को पेश हो।

4/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०।
P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त
होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार
दिनांक 8/8/24 को पेश हो।

8/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 8/11/24
को पेश हों।

8/11 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 13/12/24
को पेश हों।

13/12/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21/1/25 को पेश हो।

21/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 10/2/25 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajve[...] Yadav
Date: 2025.10.06 15:52:0[...]
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	11 03/2025 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08/07/25 को पेश हो। 8/7 पत्रावली पेश हुइ। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 18/9/25 को पेश हों। 18 9/25 पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय अनुपस्थित। प्रकरण में सुनवायी हेतु बार-बार आवाज लगायी गयी। बावजूद बार-बार आवाज लगाने पर भी वकुलाय अथवा पक्षकारान में से हाजिर अदालत नहीं आया। अत: कार्यवाही प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम होकर दाखिल हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.10.06 16:52:04 IST Reason: SelfAttested	